संख्या-77/2020/2133जेएल/22-3-2020-800(1)/2020

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 04 नवम्बर, 2020*

विषय- जिला कारागार लखनऊ के सिद्धदोष बंदी सूर्य कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, निवासी-बी-105/4,आर0डी0एस0ओ0 कालोनी, थाना-मानक नगर, जनपद-लखनऊ, हाल पता-म0नं0-548-एस/10, सूर्य नगर, पोस्ट-मानक नगर, थाना-पारा, जनपद-लखनऊ को पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-395/जे0ए0 3/पैरोल/2020, दिनांक 28-10-2020 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जिला कारागार लखनऊ के सिद्धदोष बंदी सूर्य कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, निवासी जनपद-लखनऊ को शासनादेश संख्या-52/2020/1228जेएल/22-3-2020-800(1)/2020, दिनांक 31-07-2020 के क्रम में एक माह की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-77/2020/2133जेएल(1)/22-3-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3- पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार लखनऊ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in